फाइल सं0 9(1)2016/14वीं सीएसी/एन्फ/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

प्रवर्तन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

04 सितम्बर, 2015 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के खाद्य प्राधिकरण की आयोजित 18वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की खाद्य प्राधिकरण की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 06 नवम्बर, 2016 में इसकी 19वीं खाद्य प्राधिकरण की बैठक में अंगीकार किया गया।

2. तदनुसार, इसके कार्यवृत्त को वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है।

राकेश चन्द्र शर्मा

निदेशक, (सा.प्रा)

संलग्न-18वीं खाद्य प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त (सात पृष्ट)।

दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आशीष बहुगुणा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 18वीं बैठक के संशोधित प्रारुप कार्यवृत्त।

18वीं बैठक के प्रारुप कार्यवृत्त की प्रतियों को सदस्यों के मध्य 11 सितम्बर, 2015 को उनकी टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो देने के लिए परिपत्रित किया गया। कुछ सदस्यों की टिप्पणियों के उपरान्त कार्यवृत्त में उचित संशोधन किये गये। बैठक के संशोधित प्रारुप कार्यवृत्त को निम्न रुप में पढा जाए:-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया एंव उपस्थित सदस्यों के संक्षिप्त परिचय के पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाई प्रारंभ की।

क. स्थाई मद:

18.1 **हितों की घोषणा**

सदस्यों ने हितों की घोषणा के लिए निर्धारित फार्म भरा।

18.2 मद सं0 2

प्राधिकरण की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

1. प्राधिकरण की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदन को यह अवगत कराया कि श्री वासुदेव ठक्कर ने एक ईमेल दिनांक 25.06.2015 उन्हें लिखा है तथा इस ईमेल में यह लिखा है कि 17वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लेखित कुछ बिन्दुओं पर बैठक में की गई चर्चा से कार्यवृत्त काफी भिन्न हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को इस में शामिल नहीं किया गया है अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच करें जिस को कि आपके द्वारा करवाया गया है तथा संशोधित कार्यवृत्त प्रेषित करें। उनहोंने आगे बताया कि इस ईमेल का उत्तर दिनांक 6 जुलाई 2015 के पत्र के द्वारा श्री ठक्कर को यह सूचित करते हुए दिया गया है "आपका ध्यान कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 17.10.7 की ओर आकर्षित किया जाता है। फिर भी आप उन विनिर्दिष्ट बिन्दुओं का उल्लेख करें (1) जिनको कि बैठक में चर्चा के अनुरुप शामिल नहीं किया गया है"(2) किन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल नहीं किया गया है लिखित में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि अगली बैठक से पूर्व उक्त बैठक के कार्यवृत्तों को अन्तिम रुप दिया जा सके। इस संबंध में संबंधित सदस्य से लिखित में अभी तक कोई भी पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है।

(2). श्री वासुदेव ठक्कर ने इस संबंध में कहा कि उन्होने कई ऐसे मुद्धे उठाए थे जिन को कि बैठक के कार्यवृत्त में सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया था। श्री ठक्कर के विचार सुनने के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो कुछ भी वे सोचते हैं जिनको कि बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाना चाहिए, उनको लिखित में एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने का कष्ट करें तथा इस पर पूर्व अध्यक्ष की राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(3) तद्नुसार, प्राधिकरण ने 17वीं बैठक के कार्यवृत्त को जैसा कि परिपत्रित किया गया था को अंगीकार किया। यदि इस कार्यवृत्त में कोई भी परिवर्तन पैरा संख्या 2 के कारण होता है तो उसे अगली बैठक में कर लिया जाएगा।

कार्यसूची **मद सं0** 18.3

17वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

1. की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) को सदस्यों ने नोट किया, सुश्री श्रेया पाण्डेय ने यह कहा कि यद्यपि पिछली बैठक से संबंधित फैसलों की एटीआर निरंतर रुप से एजेण्डा का हिस्सा रही है और सुझाव दिया कि खाद्य प्राधिकरण की स्थापना के शुरुआत से हुई सभी बैठकों के फैसलों की एटीआर भी ऐजेण्डा में सम्मलित किये जाएं। उन्होने यह सुझाव दिया कि ऐसे ऐटीआरों को वेबसाईट पर डाला जाना चाहिए। इस पर श्री के.एल.शर्मा ने यह सुझाव दिया कि ऐसे पिछली बैठकों में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाईयों को एटीआर में शामिल करने के स्थान पर जिन निर्णयों पर कार्यवाई की जा चुकी है ऐसे मदों पर एटीआर प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होने यह सलाह दी कि सिर्फ उन बिन्दुओं को बैठक की कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए जिन पर कार्रवाई लंबित है।

श्री वासुदेव ठक्कर ने यह कहा कि उनके एटीआर के कार्यसूची संख्या 17.4, 17.7 तथा 17.10.7. के बारे में कुछ टिप्पणियां हैं। उक्त मदों के बारे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने एक एक करके सभी मदों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि जो एटीआर कार्यालय ने बनाया है वह तथ्यात्मक रुप से सही है और उन मुद्दों के गुण दोष पर चर्चा जिस से एटीआर बना है इस कार्यसूची के मद के क्षेत्र के बाहर हैं।

3. चर्चा के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि:

1. प्राधिकरण के समक्ष रखी गई एटीआर को नोट किया हुआ माना जाएगा।

2. जिन निर्णयों पर अन्तिम कार्रवाई की जानी लंबित है उन सभी को भविष्य में अलग से शामिल किया जाऐगा।

3. प्राधिकरण के द्वारा लिये गये मुख्य निर्णयों की जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है तथा विभिन्न साझेदारों को भी इसकी जानकारी प्रेषित की जाए आवश्यक रुप से एटीआर के माध्यम से भेजी जाए क्यों कि कभी कभी इस में अन्य संगठनों का भी कार्य प्रतीत होता है।

कार्यसूची मद सं0. 18.4

17वीं बैठक के पश्चात आयोजित गतिविधियों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय की रिपोर्ट

1. रिपोर्ट की एक प्रति सभी सदस्यों के मध्य परिपत्रित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने पिछली बैठक के पश्चात की गई गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए अपनी रिपोर्ट को पढ कर सुनाया।

2. श्री वी.के.ठक्कर एवं कुछ सदस्यों ने कहा कि प्राधिकरण की बैठक का आयोजन का समय अन्तराल कम होना चाहिए जिस से कि कार्यसूची का प्रबंधन आसानी से किया जा सके। इस पर सभी की सहमति हुई। यह भी महसूस किया गया कि बैठक के आयोजन से दो सप्ताह पूर्व बैठक की कार्यसूची सभी सदस्यों को परिपत्रित की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि भविष्य में प्राधिकरण बैठक की कार्यसूची ईलैक्ट्रोनिक माध्यम से परिपत्रित की जाएगी जब तक कि कोई सदस्य इसकी हार्ड प्रति की मांग नहीं करे।

3. यह निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय पूरे वर्ष के लिए प्राधिकरण की बैठकों का अस्थाई कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे तथा जब तक अन्यथा अपरिहार्य नहीं पाया जाता इस कार्यक्रम का ही पालन किया जाएगा तथा बैठक के कार्यसूची को बैठक से 15 दिवस पूर्व प्रेषित करने के हर संभव प्रयास किये जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बैठक की कार्यसूची ईलैक्ट्रॉनिक माध्यम से परिपत्रित की जाएगी। यदि कोई सदस्य कार्यसूची की प्रति हार्ड कॉपी में चाहता है तो वह पहले ही सीईओ महोदय को अपनी प्राथमिकता के बारे में सूचित करे। इसके अलावा, जैसा कि सीईओ महोदय द्वारा प्रस्तावित था, प्राधिकरण ने निवर्तमान अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा की।

ख.नियमित कार्यसूची मद

कार्यसूची मद सं.18.1
वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राधिकरण के लेखा अनुमोदन

यह संकल्प लिया गया कि जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राधिकरण के लिए वार्षिक लेखा प्रस्तावित किया गया है उसे उसी रुप में स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद सं.18.2
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के लिए बजट

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के लिए आवंटित बजट पर चर्चा की गई तथा यह संकल्प लिया गया कि जो बजट वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण के लिए आवंटित किया गया है उसे उसी रुप में स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाता है।

कार्यसूची मद सं.18.3
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकार एवं अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची मद सं.18.4
जिंक को संदूषकों की सूची में से हटाना

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रस्ताव पर विस्तृत रुप से चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि जो मानक कोडेक्स में बनाए गए थे वे अब प्रासंगिक नहीं हैं क्यों कि उक्त मानक को कोडेक्स के द्वारा शायद समीक्षा हेतु वापस ले लिया गया है तथा उक्त मानक कोडेक्स की वेबसाईट पर भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे यह प्रस्ताव किया कि इस प्रस्ताव को सशर्त मंजूरी प्रदान की जा सकती है यदि कोई भी परिवर्तन इस संबंध में भविष्य में कोडेक्स के द्वारा किया जाता है तो इस प्रस्ताव की पुर्नसमीक्षा की जा सकती है। प्रस्ताव को उपरोक्त शर्त के साथ प्राधिकरण ने अनुमोदित किया।

कार्यसूची मद सं.18.5
खाद्य जिंसों में कीटनाशकों के अधिकतम उपयोग सीमा का निर्धारण

कार्यसूची में निर्धारित इस प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई। संयुक्त सचिव, कृषि विभाग ने इस संबंध में प्राधिकरण के द्वारा की गई कार्रवाई की प्रंशंसा की तथा अनुरोध किया कि जिन 17 कीटनाशकों की अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाना लंबित है उसे भी शीघ्र निर्धारित कर दिया जाए। माननीय सदस्य महोदय के द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करते हुए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची मद सं. 18.6
भारतीय मानक ब्युरो के 09 मानकों को अंगीकार करना

इस मद पर चर्चा की गई तथा श्रीमती मीतू कपूर के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि शिशु एवं छोटे बच्चों के लिए प्रोटीन से भरपूर स्थानापन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग मानक बनाये जाएं ताकि आईएमएस एक्ट 1992 के तहत आने वाले शिशु दुग्ध पूरक उत्पादों की पहचान सुनिश्चित की जा सके तथा ऐसे खाद्य उत्पादों के विज्ञापन, दान, तथा प्रचार पहलु (जैसा कि आईएमएस एक्ट में परिभाषित किया गया है) पर स्पष्टता निर्धारित की जा सके। इस मद को सैद्दातिंक रुप से अनुमोदित किया गया तथा मानकों को अन्तिम रुप देने से पूर्व इस मद पर भी विचार किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 18.7
एल्कोहैलिक पेयपदार्थों के मानक एंव प्रारुप विनियम

इस मद पर चर्चा की गई तथा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची मद सं. 18.8
फल एंव सब्जियों तथा उनके उत्पादों के माईक्रोबायोलोजीकल मानक

कार्यसूची के इस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। यह महसूस किया गया कि इन मानकों को सभी फल एवं सब्जियों के संबंध में भारतीय परिवेश में लागू कर पाना मुश्किल होगा क्यों कि इन को उत्पादन से लेकर बेचने तक बडी संख्या में मध्यस्थ लोगों के द्वारा हेण्डल किया जाता है जिस से कि माईक्रोबायोलॉजिकल कीटाणु हाथों के द्वारा इनमें जा सकते हैं। यह भी महसूस किया गया कि जो मानक प्रस्संकृत फलों एवं सब्जियों के लिए निर्धारित किये जा सकते हैं वे अपने आप में जांच मानकों के अभाव में अधूरे हैं। सदस्यों के उक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को संबंधित वैज्ञानिक पैनल को पुर्नसमीक्षा हेतु भेजा जाए।

कार्यसूची मद सं. 18.9

मछली एंव मछली उत्पाद के वैज्ञानिक पैनल के गठन में परिवर्तन

इस मद पर विचार किया गया तथा उक्त मद को प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर अनुमोदन किया।

कार्यसूची मद सं. 18.10

वेब आधारित एफएलआरएस, एफपीएएस, एफआईसीएस ई-गवर्नेन्स एप्लीकेशनों के लिए एसएमएस सुविधा

इस मद पर विचार किया गया तथा उक्त मद को प्राधिकरण ने प्रस्ताव पर अनुमोदन किया।

कार्यसूची मद सं. 18.11

उत्पाद अनुमोदन पर कार्य दल की रिपोर्ट

इस मद पर विस्तार से चर्चा की गई। उत्पाद अनुमोदन प्रभाग की टिप्पणियां भी सदस्यों के मध्य परिपत्रित की गईं। इस पर श्री वासुदेव ठक्कर ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि कार्य दल का कोई भी वैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। यह व्याख्या की गई कि कार्य दल की अनुशंसाऐं वैज्ञानिक पैनल के लिए मात्र एक महत्वपूर्ण इनपुट है तथा प्राधिकरण के द्वारा अन्तिम फैसला लेने के लिए हैं। यह महसूस किया गया कि कार्य दल के द्वारा व्यापक अभ्यास किया गया तथापि रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर स्पष्टता नहीं है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि कुछ निश्चित भाव जैसे सूछम विविधताएं तथा छोटे परिवर्तन को सही तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है क्यों कि इनको विभिन्न भागीदारों के द्वारा भिन्न तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। उन्होने सभी का ध्यान उन प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जिनमें खाद्य की परिभाषा तथा धारा 22 में व्याख्या की गई है। इसके अनुसार प्राधिकरण खनिजों, विटामिनों या प्रोटीन या धातुओं इत्यादि के संबंध में भारतीयों के लिए निर्धारित आरडीए की सीमा का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। [धारा 22-व्याख्या [1] (क) (ii); तथा दवा एवं प्रसाधन अधिनियम के तहत पैरा (1) के उपधारा खण्ड(ख) के मद अनुसार]

विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात, यह निर्णय लिया गया कि:

(i) कार्य दल के अध्यक्ष तथा उक्त विषय पर गठित कार्यदल के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक बैठक प्राधिकरण के अधिकारी/परामर्शदाताओं के साथ निधारित विषयों पर स्पष्टता के लिए आयोजित की जाए, तथा

(ii) कार्य दल की स्तुतियों पर उत्पाद अनुमोदन के प्रारुप निर्माण के समय विचार किया जाए।

कार्यसूची मद सं. 18.12
माननीय उच्च न्यायालय- बच्चों के लिए पोषक खाद्य पर दिशा-निर्देश

इस मद पर विस्तार से चर्चा की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के अद्ययतन आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस बिन्दु पर भी चर्चा की गई कि क्या प्राधिकरण को इन दिशानिर्देशों को प्रारुप दिशानिर्देश के रुप में प्रस्तुत करना चाहिए या प्रारुप विनियम के रुप में। विस्तार से चर्चा के पश्चात, यह निर्णय लिया गया कि जो दिशानिर्देश माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किये गये थे उन्हीं दिशानिर्देशों को एक प्रारुप में फुटनोट के साथ व्याख्या करते हुए कि इन्ही प्रारुप को विनियम बनाने की प्रक्रिया जैसे भागीदारों के सुझाव, टिप्पणियां इत्यादि के पालन के पश्चात विनियम के रुप में उचित समय पर परिवर्तित कर दिया जाएगा।

ग. सूचना हेतु

कार्यसूची मद सं. 18.13
प्राधिकरण में सूचना प्रोद्योगिकी प्रभाग की स्थापना- सूचना प्रोद्योगिकी पेशवरों की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति।

सदस्यों ने मद को नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 18.14
भारत में व्यापार विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल (सीआईटीडी)

सदस्यों ने मद को नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 18.15
प्राधिकरण की सूचना हेतु सलाह पत्र/आदेश जारी करना।

सदस्यों ने मद को नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 18.16
केन्द्रीय सलाहकार समिति की दिनांक 08.01.2015 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त

सदस्यों ने मद को नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 18.17

सदस्यों ने मद को नोट किया।

घ. पूरक कार्यसूची मद

कार्यसूची मद सं. 18.18
मै. नेस्ले इंडिया लि. की मैगी नूडल्स पर जारी आदेश संदर्भ संख्या. 10/गुआ/प्रवर्तन मामले/भाखासंमाप्रा-2015 दिनांक 05 जून 2015

सदस्यों ने मद को नोट किया। श्री. वासुदेव ठक्कर ने यह महसूस किया कि प्राधिकरण को माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्द एक विशेष अनुमत याचिका जरुर दायर करनी चाहिए विशेषकर सैम्पलिंग के मामले पर। उन्होंने आगे कहा कि प्राधिकरण को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में परिवर्तन के लिए नेस्ले द्वारा डाली गई याचिका का विरोध करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय न इस पर कहा कि इस पर निर्णय मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के अध्ययन के पश्चात लिया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 18.19
माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.08.2015 विअया(ग) सं.(द) 23872-23874/2014 पर निर्णय

सदस्यों ने इस मद को नोट किया, विशेषकर उनमें उल्लेखित विषयों पर विनियमों की रुप रेखा को। विनियमों को बनाने के काम के लिए विधिक सहायता की आवश्यकता पर कानूनी मामलात विभाग के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि इस कार्य के लिए कानून मंत्रालय के कुछ सेवानिवृत्त कार्मिकों को इस कार्य के लिए काम पर रखा जा सकता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उन सभी पर विचार किया जाएगा। फिर भी, कानून मंत्रालय से सेवानिवृत्त कार्मिक प्रारुप विनियमों के पुनरिक्षण के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। उपरोक्त विचार विमर्श के पश्चात, प्राधिकरण ने प्रस्तावित रुपरेखा तथा विधिक सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

कार्यसूची मद सं. 18.20
श्री वासुदेव ठक्कर जी से प्राप्त संदर्भ/पत्र

श्री वासुदेव ठक्कर ने यह कहा कि वे इस कार्यसूची मद पर कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि वे इसके संबंध में माननीय न्यायालय में केस दर्ज करा चुके हैं तथा मामला विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्राधिकरण के कर्तव्य एवं क्रिया-कलाप खाद्य संरक्षा अधिनियम की धारा 16 में तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कर्तव्य एवं क्रिया-कलाप खाद्य संरक्षा अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट रुप से वर्णित हैं। उन्होंने यह उल्लेखित किया कि सभी सदस्यों को यह सराहना चाहिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के क्रिया कलापों पर नजर रखते हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि प्राधिकरण उस के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि सदस्यों का प्राधिकरण के विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण एवं उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप हमेशा स्वागत है।

कार्यसूची मद सं. 18.21
खाद्य एवं पानी की जांच की विधि के मेन्युअलों पर स्थिति रिपोर्ट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने इस मद के बारे में बताया कि जांच की विधि के प्रारुप मैन्युअलों पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं। उक्त टिप्पणियों को वैज्ञानिक पैनल के पास जांच/विचार के लिए भेजा गया है। उन्होने आगे कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि सभी मैन्युअलों को एक साथ पूर्ण करने के स्थान पर एक एक करके सभी मैन्युअलों को पूर्ण किया जाए, इस पर डॉ.शर्मा ने सन्तोष व्यक्त किया।

कार्यसूची मद सं. 18.22
वैज्ञानिक समिति तथा वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों के चयन प्रक्रिया हेतु उप-समिति की स्थिति रिपोर्ट

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने उपसमिति के द्वारा किये गये विचार विमर्श के बारे में बताया। उन्होने सदस्यों को यह बताया कि वैज्ञानिक समिति एंव 09 वैज्ञानिक पैनलों का वर्तमान कार्यकाल दिनांक 16.01.2016 को समाप्त हो रहा है। उन्होने कहा कि प्रशासन को इस प्रकिया को सितम्बर माह तक करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान वैज्ञानिक पैनलों एवं समितियों के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नये सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दी जाए, विशेषकर इन समितियों एवं पैनलों के कार्यकाल विस्तार का कोई भी प्रावधान खाद्य संरक्षा कानून में नहीं दिया गया है। तद्नुसार, उन्होने यह प्रस्तावित किया कि उपसमिति को यह अनुरोध किया जाए कि वे अपनी संतुतियों को शीघ्र प्रस्तुत करे। यह सभी ने सहर्ष

स्वीकार किया।

कार्यसूची मद सं. 18.23
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय

श्री अबुल कलाम ने अन्य देशों से सुपारी आयात के कारण सुपारी उगाने वाले किसानों के सामने आ रहीं समस्याओं का मुद्दा उठाया। श्री कलाम जी से अनुरोध किया गया कि वे अलग से इस मुद्दे पर निदेशक, आयात के साथ सदस्य से चर्चा करें ताकि उपयुक्त प्राधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठा सके।

इस प्रकार कोई अन्य कार्यसूची चर्चा के लिए शेष नहीं थी, बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन देकर किया गया।

(आशीष बहुगुणा)
अध्यक्ष
04.11.2015